पत्रावली सं०-182 / मूर्ति निर्माण (विविध)

माननीय सदस्य, विधान परिषद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रथम सत्र, 2014 के द्वितीय शुक्रवार के लिये पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0–8 की अनुपूरक सामग्री

संस्कृति विभाग,उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय नेताओं, महानुभावों की मूर्तियों के निर्माण का कार्य वर्ष 1991 से किया जा रहा है। मूर्ति के निर्माण एवं स्थापना के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार निम्नवत् व्यवस्था प्रचलन में है।

1. महापुरूषों की मूर्तियों के निर्माण के संबंध में शासनादेश सं0–3138/चार–2001–6(20)/90–टी.सी, दिनांक 24 नवम्बर,2001(**संलग्नक–1**) के अनुसार निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

अ. संस्कृति विभाग में मूर्ति निर्माण के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रस्ताव को दो (2) श्रेणी में बांटा जायेगा। प्रथम श्रेणी में उन प्रस्तावों को रखा जायेगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वप्रेरणा से की गयी घोषणाओं पर आधारित है। इस श्रेणी में आने वाले प्रस्तावों के आधार पर मूर्ति निर्माण पर होने वाला व्यय संस्कृति विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

ब. माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी घोषणाओं के आधार पर प्राप्त होने वाले प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति/व्यक्ति समूह/स्वैच्छिक संस्था/संगठन के अनुरोध पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी है अथवा शासन में प्राप्त होने वाले ऐसे अन्य प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति/व्यक्ति समूह/स्वैच्छिक संस्था/संगठन द्वारा किये गये हैं, के आधार पर यदि मूर्ति के निर्माण का निर्णय लिया जाता है तो मूर्ति निर्माण में आने वाली कुल लागत के 25 प्रतिशत का भुगतान संबंधित व्यक्ति/व्यक्ति समूह/स्वैच्छिक संस्था/संगठन द्वारा किया जायेगा जिससे उनकी आर्थिक सहभागिता होने के कारण मूर्ति स्थापना के प्रति उनकी जागरूकता और इच्छा बनी रहे। ये भुगतान ऐसे प्रस्ताव या उसके प्रतिनिधि द्वारा मूर्ति के नमूनें/अनुकृति के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा।

स. मूर्ति निर्माण का आदेश तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित जिलाधिकारी द्वारा मूर्ति की स्थापना के लिये स्थल का चयन कर संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0/संस्कृति विभाग,उ0प्र0 शासन को लिखित रूप से संस्तुति सहित सूचित न कर दिया जाये।

2. मूर्ति के निर्माण एवं स्थापना के संबंध में शासनादेश सं0–33/चार–91–6(20)/90, दिनांक 14 जनवरी,1991**(संलग्नक–2)** द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि 25 प्रतिशत भुगतान निदेशक, सांस्कृतिक कार्य द्वारा मूर्ति के नमूनें का अनुमोदन हो जाने के उपरांत किया जायेगा, मूर्ति के निर्माण की लागत का अगला 50 प्रतिशत भुगतान मूर्ति के पूर्ण हो जाने पर मूर्ति की गुणवत्ता एवं वर्क मैनशिप से निदेशक, सांस्कृतिक कार्य द्वारा पूर्णतया संतुष्ट हो जाने पर किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत भुगतान मूर्ति की स्थापना के 60 दिन के बाद निदेशक, सांस्कृतिक कार्य द्वारा मूर्ति की स्थापना से पूर्णतया संतुष्ट होने पर किया जायेगा।

3. शासनादेश दिनांक 24 मई, 2000 **(संलग्नक–3)** के अनुसार संस्कृति निदेशालय मूर्तियॉ बनवाकर स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जाती है। मूर्ति की स्थापना एवं पेडस्टल का निर्माण संबंधित कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

4. वर्तमान में मूर्ति निर्माण के संबंध में शासनादेश सं0–सी0एस0–91/चार–2007–34(वि)/07, दिनांक 03 जुलाई,2007**(संलग्नक–4)**। प्रभावी है जिसके अनुसार **"भविष्य में किसी भी स्थल पर चाहे वह निजी भूमि ही क्यों न हो, संतो, महात्माओं, महापुरूषों आदि की प्रतिमाएं बिना शासन की अनुमति के नहीं लगायी जाये तथा शासन स्तर पर इस संबंध में उच्चतम स्तर की अनुमति प्राप्त की जाये।"**

उक्त शासनादेश के कम में मूर्तियों के निर्माण हेतु शासन से प्राप्त अनुमति के उपरांत विज्ञापन के माध्यम से निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–5)** पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदाऍ मूर्तिकारों से आमत्रित की जाती है। मूर्तियों के निर्माण की समस्त औपचारिकताऍ पूर्ण होने के उपरांत मूर्ति निर्माण की प्रकिया में 60 से 80 दिन का समय लगता है तथा निविदाओं के आधार पर अनुमोदित मूर्तिकार से एक अनुबंध **(संलग्नक–6)** भी किया जाता है।

मूर्ति के निर्माण के उपरांत मूर्ति की धातु तथा पत्थर का परीक्षण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से कराया जाता है। तत्पश्चात् मूर्ति स्थापना हेतु जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी जाती है।

मूर्तियों संबंधी शासनादेश

1. **शासनादेश सं0–3138/चार–2001–6(20)/90,टी.सी.,दि024दिसम्बर,2001**

मूर्ति निर्माण के प्रस्ताव दो श्रेणी में––––

(क) मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं के आधार पर प्राप्त होने वाले प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति/व्यक्ति समूह/स्वैच्छिक संगठन के अनुरोध पर मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गयी हो।

1. 25 प्रतिशत का भुगतान प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा।
2. डी0एम0 द्वारा स्थल चयन कर संस्कृति विभाग को सूचित करना होगा।
3. विभाग द्वारा मूर्ति निर्माण का आदेश आय–व्ययक प्राविधान/आय–व्ययक से पूर्व देनदारियों को घटाकर, ही निर्गत किये जायेंगे।

2/I गृह (पुलिस) विभाग के **शासनादेश सं0–1047/छ:पु0–3/2007, दि0 20 मई, 2007** के प्रस्तर–20 के आधार पर–

(क) **शासनादेश सं0–सी0एस0–91/चार–2007–34(वि0)/07,दि003 जुलाई, 2007** निर्गत।

(ख) **शासनादेश सं0–3460पी/छ:पु0–3–2008–25पी/2002, दि0 23 सितम्बर, 2008** निर्गत।

2/II उपरोक्त तीनों शासनादेशों का निहितार्थ––

(1) संतो, महात्माओं, महापुरूषों एवं संपूज्यजनों की प्रतिमा को तोड़ना प्रतिबन्धित, सजगता की आवश्यकता, भविष्य में किसी भी स्थल पर (चाहे निजी भूमि ही क्यों न हो) बिना उच्च स्तर की अनुमति के न लगायी जाये।

(2) डी0एम0 द्वारा मूर्ति स्थापना स्थल (निजी भूमि, सार्वजनिक भूमि–नगर निगम, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत)का स्थलीय निरीक्षण––––भू–स्वामी की लिखित सहमति, सार्वजनिक भूमि हेतु संबंधित का एन0ओ0सी0––––प्रस्ताव के लिखित प्रस्ताव पर, डी0एम0+एस0एस0पी0 की संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या।

(3) पुरानी प्रतिमा हटाने का प्रस्ताव/सहमति।
(4) भूमि पर ––No litigation, Non-encunfarence cerficate
(5) गृह विभाग द्वारा परीक्षण, सी0एस0 के माध्यम से सी0एम0 का अनुमोदन (एन0बी0– उपरोक्त निहितार्थ **शासनादेश सं0– सी0एस0–91/चार–2007–34(वि0)/07,दि003 जुलाई, 2007)**

3/I **शासनादेश सं0–33/चार–91–6,दि0 14 जनवरी, 1991** का प्रस्तर–2 मूर्ति नमूने/निर्मित मूर्ति निरीक्षण हेतु निदेशक/निदेशक का प्रतिनिधि अर्थात जे0डी0 प्राधिकृत।

3/II उपरोक्त प्रस्तर–2 का संशोधन **शासनादेश सं0–2556/चार–97, दि015 जुलाई, 1997** प्रस्ताव/आदेशकर्ता संस्था/व्यक्ति के संतुष्टि हेतु उन्हीं संबंधितों द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों द्वारा मूर्ति अनुमोदन की स्वीकृति ली जायेगी।

✓4. **शासनादेश सं0–2030/स्था–25(एम)/90, दि0 24 मई, 2000**

मूर्ति स्थापना में पेडस्टल निर्माण की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा निहित व्यय में स्थानीय संसाधनों से पूर्ण किया जायेगा।

5. **शासनादेश सं0–1822/चार–97–7(14)/95, दि0 13 अगस्त, 1997**

मूर्ति निर्माण की स्वीकृति सीधे निदेशक, संस्कृति द्वारा जारी की जायेगी, मूर्ति निर्माण आदेश की प्रति शासन को पृष्ठांकित की जायेगी, शासन स्तर पर केवल आय–व्ययक में प्राविधान(एप्रोपियेशन) की कार्यवाही की जायेगी।

6. **शासनादेश सं0–896/4–90–6(20)/90, दि0 13 दिसम्बर, 1990**

राज्य स्तर के नेताओं की मूर्तियों कास निर्माण।
विधीक्षित अनुबंध–पत्र के आलेख की फोटो प्रति प्रेषित(जो सम्प्रति अप्राप्त)।
अनुबंध–पत्र का निष्पादन राज्यपाल की ओर से उप सचिव द्वारा किया जाना स्वीकृत।

7. **शासनादेश सं0–33/चार–91–6(20)/90, दि0 14 जनवरी, 1991**

राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मूर्तियों का निर्माण।
उपरोक्त **शासनादेश सं0–896/4–90–6(20)/90,** दि0 13 दिसम्बर, 1990 में निर्धारित अनुबंध प्रकिया यथावत मान्य नहीं।

भुगतान प्रकिया:–

25 प्रतिशत मूर्ति नमूनें के अनुमोदन पर।
50 प्रतिशत मूर्ति पूर्ण होने पर।
मूर्ति की गुणवत्ता और वर्कमैनशिप पर अवशेष 25 प्रतिशत मूर्ति स्थापना के 60 दिनों बाद।

✓8. **शासनादेश सं0–906/20–ई–1–2000–यू0ओ0–353/99,दि0 14 मार्च, 2000** (स्वतंत्रता के पश्चात) (1947 के बाद)

शहीद सेनानियों के स्मारक/मूर्ति स्थापना संबंधी कार्य––सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित।

(स्वतंत्रता (1947 के पूर्व के प्रकरण राजनैतिक पेंशन निदेशालय द्वारा)

सं0 ५९६/14-90-6(20)/90

प्रेषक,

लक्ष्मण राम टम्टा,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
सांस्कृतिक कार्य,
उ0प्र0, लखनऊ ।

सांस्कृतिक कार्य अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 दिसम्बर 1990

विषय:- राज्य स्तर के नेताओं की मूर्तियों के निर्माण के संबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मूर्तियों के निर्माण एवं स्थापना के संबंध में संबंधित मूर्तिकारों से निष्पादित कराये जाने वाले अनुबन्ध पत्र के आलेख का विधीक्षण विधायी विभाग द्वारा कर दिया गया है। और उनके द्वारा विधीक्षित अनुबन्ध पत्र के आलेख की एक फोटोस्टेट प्रति संलग्न है।

2- विधायी विभाग ने यह अपेक्षा की है कि यदि मूर्ति के निर्माण हेतु मूर्तिकारों को संबंधित राष्ट्रीय नेताओं का चित्र, ड्राइंगस/स्पेसीफिकेशन्स आदि पहले ही दे दिये गये है तो स्पष्टता की दृष्टि से उन्हें अनुसूची के रूप में अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न कर लिया जाय तथा उनके विवरण भी भर लिये जायें। अनुबन्ध पत्र रू0 6/- के मूल्य के स्टैम्प पेपर पर निष्पादित कराया जाय ।

3- विधायी विभाग के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड(1) के अधीन शासन के न्याय(अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं0 1932/7-अ0न्या0-497-73 दिनांक 15-7-77 के मद संख्या 1 के अनुसार उक्त विलेख एवं लिखत का निष्पादन सरकार के उपसचिव तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायगा। इस परिपेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपने राज्यपाल महोदय की ओर से संबंधित मूर्तिकारों से अनुबन्ध पत्र निष्पादित किये है। संभवत: ऐसा आपने शासन द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर किया होगा। अत: यदि शासन के किसी अधिसूचना के अधीन पूर्व में मूर्तिकारों के साथ अनुबन्ध पत्र राज्यपाल महोदय की ओर से निष्पादित किया गया था तो उसकी (अधिसूचना की) प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

महानिदेशक (श्रीमुख)
4.12.90
3/12
15/12

यदि कोई ऐसी अधिसूचना नहीं जारी की गई है, तो कृपया संलग्न विधीक्षित प्रपत्र पर संबंधित मूर्तिकारों से अनुबन्ध पत्र भराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उनको राज्यपाल की ओर से उपसचिव द्वारा निष्पादित किया जा सके।

4- विधायी विभाग ने यह भी अपेक्षा की है कि प्रत्येक मूर्तिकार द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध पत्र के विलेख के विधीक्षणार्थ रु0 150/- प्रति विलेख की दर से विधीक्षण शुल्क के रूप में ट्रेजरी चालान द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराया जाय। सुसंगत लेखा शीर्षक और अ०शा०पत्र सं0 8140/4-90-6(20)/90 दिनांक 7-12-90 में सूचित किया जा चुका है।

5- आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम टम्टा)
उपसचिव।

11112103

संख्या-33 /चार-91-6(20)/90

प्रेषक,

श्री आलोक सिन्हा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सांस्कृतिक कार्य, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

सांस्कृतिक कार्य अनुभाग, सचिवालय-4 लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी : 1991

विषयः- राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के निर्माण एवं स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के निर्माण एवं स्थापना के सम्बन्ध में सम्बन्धित मूर्तिकारों से निष्पादित कराये जाने वाले अनुबन्ध पत्र के विधायी विभाग द्वारा विधीक्षित आलेख आपको शासन के पत्र संख्या 8261/चार-90-6(20)/90, दिनांक 13 दिसम्बर, 1990 के साथ संलग्नकर, भेजा गया है। इस अनुबन्ध पत्र के विधीक्षित आलेख के प्रस्तर-6 में सम्बन्धि मूर्तिकार को मूर्ति के निर्माण एवं स्थापना के सम्बन्ध में भुगतान करने हेतु समय सारि निर्धारित की गयी है और यह प्राविधान किया गया है कि मूर्ति की लागत का 25% भुगतान निदेशक, सांस्कृतिक कार्य द्वारा मूर्ति के नमूने का अनुमोदन हो जाने के उपरान्त किया जायेगा, मूर्ति के निर्माण की लागत का अगला 50% भुगतान मूर्ति के पूर्ण हो जाने पर मूर्ति की गुणवत्ता एवं वर्कमैनशीप से निदेशक, सांस्कृतिक कार्य द्वार पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाने पर किया जायेगा तथा शेष 25% भुगतान मूर्ति की स्थापना के 60 दिन के बाद निदेशक, सांस्कृतिक कार्य द्वारा मूर्ति की स्थापना से पूर्णतया सन्तुष्ट होने पर किया जायेगा।

2- उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार मूर्तियों के नमूनों तथा निर्मित मूर्तियों का निरीक्षण स्वयं आप द्वारा अथवा विशेष परिस्थितियों में आप द्वारा प्राधिकृत संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाय और ऐसे निरीक्षण के पश्चात मूर्तियों के नमूने तथा निर्मित मूर्तियों का अनुमोदन आप द्वारा किया जाय तथा मूर्तिकारों को नियमानुसार भुगतान किया जाय। मूर्तिकारों को भुगतान करने के

कृ0पृ0उ0

सम्बन्ध में शासन के आदेश की आवश्यकता नहीं है। आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
सचिव।

सहायक
मुख्य सचिव

(54) अ0शा0प0सं0- 1851/ चार-97

सांस्कृतिक कार्य अनुभाग
उत्तर प्रदेश शासन

विधान भवन
लखनऊ

दिनांक: मई 16, 1997

प्रिय महोदय,

शासन के संज्ञान में इस प्रकार के प्रकरण अक्सर आ रहे हैं कि कुछ लोग निहित स्वार्थवश महापुरुषों की मूर्तियाँ सरकारी/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा की भूमि पर स्थापित करके परोक्ष रूप से उन पर कब्जा कर रहे हैं या कब्जा करने का प्रयास करते हैं । धीरे-धीरे इस प्रकार के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं । इससे न केवल सरकारी/स्थानीय निकाय एवं ग्राम सभा की सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है बल्कि प्रायः कानून एवं शान्ति-व्यवस्था की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है । यह भी देखने में आया है कि कहीं-कहीं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या भूमिहीनों के आवंटन के लिए आरक्षित भूमि पर भी इस प्रकार के कब्जे हो जाते हैं जिससे गाँव के गरीब लोग एवं जन सामान्य को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ता है व उनको अनेक असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है ।

उपरोक्त परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अथवा संस्था जिला प्रशासन तथा सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के किसी सरकारी, स्थानीय निकाय अथवा गाँव सभा की भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति की स्थापना नहीं करेगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के अलावा प्रत्येक दशा में किसी भी व्यक्ति को उक्त प्रकार की भूमि पर मूर्ति स्थापना के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक होगी ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना किसी प्रकार से न की जा सके ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 16.5.97

(ब्रजेन्द्र सहाय)

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश ।

सं0 1851§1§/चार-97 तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उक्त की प्रतिलिपि इस आशय के साथ प्रेषित कि दिए गए निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

§ब्रजेन्द्र सहाय§

समस्त मण्डलायुक्त/समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, §नाम से§, उत्तर प्रदेश ।

सं0 1851§1§/चार-97 तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उक्त की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

भवदीय,

§ब्रजेन्द्र सहाय§

प्रमुख सचिव, गृह/प्रमुख सचिव, नगर विकास/ प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0 प्र0 शासन ।

(33) 647

संख्या- 2556/चार-97

प्रेषक,

श्री शैलेश कृष्ण
सचिव,
उ० प्र० शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति अनुभाग, बापू भवन लखनऊ: दिनांक: जुलाई 15, 1997

विषय: राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के निर्माण एवं स्थापना (14 जनवरी, 1991 के शासनादेश के प्रस्तर-2 का संशोधन)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के निर्माण एवं स्थापना के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-33/चार-91-6(20)/90, दिनांक 14 जनवरी, 1991 के प्रस्तर-2 के अन्तर्गत मूर्तियों के नमूनों तथा निर्मित मूर्तियों का निरीक्षण स्वयं आप द्वारा अथवा विशेष परिस्थितियों में आप द्वारा प्राधिकृत संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किये जाने तथा ऐसे निरीक्षण के पश्चात मूर्तियों के नमूने तथा निर्मित मूर्तियों का अनुमोदन आप द्वारा किये जाने तदोपरांत मूर्तिकारों को नियमानुसार भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई थी। परन्तु पिछले कतिपय अनुभवों के आधार पर यह पाया गया कि विशिष्ट महानुभावों की मूर्ति निर्माण के आदेश जिस संस्था/व्यक्ति विशेष से प्राप्त हुये, उसमें उन्हें संतुष्टि नहीं हुई।

2. अतः उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूर्तियों के नमूनों/अनुकृतियों की स्वीकृति संबंधित संस्था अथवा विशिष्ट महानुभावों, जिनके अनुरोध व सुझाव पर मूर्ति निर्मित की गई है, की अथवा किसी नामित प्रतिनिधि की ही स्वीकृति ली जायेगी और इस संबंध में किसी अन्य की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृति के उपरान्त ही मूर्तिकारों को नियमानुसार भुगतान किया जाए। आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14 जनवरी, 1991 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
सचिव।

संख्याः-१८२२/चार-४७-७(८०)/९७

प्रेषक,

श्री शैलेश कृष्ण
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
बापू भवन, सचिवालय,
लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति विभाग
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊःदिनांकःअगस्त, 13 १९९७

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न महानुभावों की मूर्ति निर्माण के संबंध में शासन स्तर पर की जाने वाली समस्त कार्यवाही अब तात्कालिक प्रभाव से निदेशक, संस्कृति के स्तर पर सम्पादित की जायेगी। निदेशक, संस्कृति नियमानुसार मूर्तियों के निर्माण के संबंध में निदेशालय की पत्रावली पर ही यथावांछित अनुमोदन सीधे प्राप्त करने के उपरान्त स्वीकृति जारी करेंगे। मूर्तियों के निर्माण के संबंध में निदेशक, संस्कृति द्वारा जारी किये गये आदेश की प्रति शासन को भी प्रेषित करेंगे। शासन स्तर पर मूर्ति निर्माण हेतु केवल आय-व्ययक प्राविधान कराने से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1

संख्या: 906 / बीस-ई-1-2000-यू0ओ0-353/99

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

[illegible] सामान्य प्रशासन विभाग को पूर्व से आवंटित किये गये कार्यों के अतिरिक्त " स्वाधीनता के पश्चात् सभी युद्धों में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में स्मारक/प्रतिमा स्थापना सम्बन्धी कार्य " भी एतद्द्वारा आवंटित किया जाता है।

उ0प्र0 कार्य (बंटवारा) नियमावली-1975 तथा उ0प्र0 सचिवालय के अनुभागों/विभागों के बीच कार्य का बंटवारा इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव

संख्या: 906 (1)/बीस-ई-1-2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
4. उ0प्र0 के समस्त मा0 मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निजी सचिव।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी।
6. उ0प्र0 शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
7. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद।
11. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. [illegible] उ0प्र0 [illegible]
[illegible] कार्य करें।
13. [illegible]

आज्ञा से,

[illegible]
[illegible]

[illegible]

शासनादेश सं०- 2030/स्था-25(एम)/10

© कार्यालय : 280602, 280609, 280[illegible]2, 272355.

सचिव,
संस्कृति विभाग,
उ०प्र० शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उ०प्र०

दिनांक 24 मई, 2000.

विषय : मूर्तियों की स्थापना हेतु पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि समय समय पर कतिपय जनपदों में स्थापना हेतु कतिपय महानुभावों/संतो/साहित्यकारों/राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों को शासन के निर्णयानुसार संस्कृति निदेशालय द्वारा बनवाकर स्थापना हेतु उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित मूर्तियों की स्थापना हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी से मूर्ति के पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये धनराशि उपलब्ध कराई जाय की मांग प्रायः की जाती है। इस हेतु अवगत कराना है कि मूर्तियों के पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिये कोई भी धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। अतः यथा स्थिति से अवगत होने तथा जनपद में स्थापित होने वाली मूर्ति के पेडेस्टल के निर्माण कार्य को स्थानीय संसाधनों से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण

(शैलेश कृष्ण)

सचिव

संख्या-3138/चार-2001-6(20)/90टी०सी०

प्रेषक

शैलेश कृष्ण
सचिव
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2001

विषय संस्कृति विभाग द्वारा निर्माण करायी जा रही महापुरुषों की मूर्तियों के सम्बन्ध में दिशा - निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अब तक जारी किये गये पार्श्वांकित शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग द्वारा

1. 8261/चार-90-6(20)90 दिनांक 13.12.1990) महापुरुषों की मूर्तियों
2. सं0 33/चार-91-6(20)90 दिनांक 14.1.1991) के निर्माण के संबंध में
3. सं0 2556(चार-97 दिनांक 15.7.1997) निम्नलिखित दिशा-
4. सं0उ0शा0प0सं0 1851/चार-97 दिनांक 16.5.1997) निर्देश का अनुपालन
5. सं0 1822(चार-97-7(14)/95 दिनांक 13.8.1997) तात्कालिक प्रभाव से
6. सं0 236/स0नि0/25(84)/90 दिनांक 24.5.2000)

सुनिश्चित करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(1) संस्कृति विभाग में मूर्ति निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रस्ताव को दो (2) श्रेणी में बाटा जायेगा । प्रथम श्रेणी में उन प्रस्तावों को रखा जायेगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वप्रेरणा से की गयी घोषणाओं पर आधारित है । इस श्रेणी में आने वाले प्रस्तावों के आधार पर मूर्ति निर्माण पर होने वाला व्यय संस्कृति विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

(2) माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी घोषणाओं के आधार पर प्राप्त होने वाले प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति/व्यक्ति समूह/स्वैच्छिक संस्था/संगठन के अनुरोध पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी हैं अथवा शासन में प्राप्त होने वाले ऐसे अन्य प्रस्ताव जो किसी व्यक्ति /

- - 2.

संख्या- सीएस-91/चार-2007- 34(वि0)/07

प्रेषक,

आर0एन0 त्रिपाठी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ दिनांक 03 जुलाई 2007

विषयः- सर्व समाज के संत, गुरू व महापुरूषों की प्रतिमा की स्थापना के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में गृह (पुलिस) अनुभाग-3 से निर्गत मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं-1047/छःपू.-3/2007, दिनांक 20.5.07 के प्रस्तर-20 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में किसी भी स्तर पर, चाहे वह निजी भूमि ही क्यों न हो, संतों, महात्माओं, महापुरूषों आदि की प्रतिमा बिना शासन की अनुमति के न लगाई जाए तथा शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में उच्चतम स्तर की अनुमति प्राप्त की जाए। उक्त संबंध में गृह (पुलिस) अनुभाग-3 से निर्गत शासनादेश संख्या-1047/छःपु0-3/2007 दिनांक 20मई,2007 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु एवं अनुपालनार्थ संलग्न है।

सलंग्नकः-यथोक्त।

A.D. | J.D.

भवदीय,

(आर0एन0 त्रिपाठी)
सचिव।

05/07/07

संख्या-सी.एस.-91(1)/चार-07तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

J.D.

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

17/07

अपर निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0 0मिश्र)
अनु सचिव।

232
09/07

प्रेषक, संख्या-3460पी/छःपु-3-2008-25पी/2002

मो0 जावेद अख्तर,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः23 सितम्बर,2008

विषयः- संतो,महात्माओं,महापुरूषों,संपूज्य जनों आदि की प्रतिमा स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सर्वसमाज में समय-समय पर जो सन्त, गुरू व महापुरूष हुए है उनकी स्थापित प्रतिमाओं की प्रत्येक दशा में सुरक्षा की जाय,असामाजिक तत्व उन्हें खण्डित करके अशान्ति व हिंसा का वातावरण न पैदा कर सके इसके लिए गृह(पुलिस) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1047/छःपु-3-2007 दिनांक 20 मई,2007 के प्रस्तर 20 में यह निर्देश निर्गत किए गए है कि:-

" संतो,महात्माओं, महापुरूषों एवं संपूज्यजनों की प्रतिमा को तोड़कर असामाजिक तत्व समाज में जान- बूझकर अन्तर्कलह और तनाव पैदा करते है। अतः इस मामले में विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। भविष्य में किसी भी स्थल पर, चाहे निजी भूमि ही क्यों न हो, संतो, महात्माओं, महापुरूषों आदि की प्रतिमा बिना शासन की अनुमति के न लगाई जाये तथा शासन स्तर पर इस संबंध में उच्चतम स्तर की अनुमति प्राप्त की जाए।"

2- उक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रयोजनार्थ शासन स्तर से अनुमति दिये जाने के संबंध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1-जब भी कोई व्यक्ति किसी महापुरूष की नई प्रतिमा स्थापित करना चाहता है तो उसे संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को आवेदन पत्र देना होगा।

2- जिलाधिकारी उक्त आवेदन पत्र पर स्थल निरीक्षण कराकर अपनी संस्तुति गृह विभाग को भेजेंगे। संस्तुति के समय निम्न बिन्दुओं का समावेश अनिवार्य होगाः-

क- जिस भूमि पर महापुरूष की प्रतिमा लगाई जानी प्रस्तावित है, वह भूमि सार्वजनिक भूमि है अथवा किसी की निजी भूमि।

ख- यदि कोई सार्वजनिक भूमि है, तो संबंधित निकाय यथा-नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा या जैसी भी स्थिति हो, की स्पष्ट संस्तुति/ अनापत्ति से संबंधित निकाय के प्रस्ताव की प्रति भेजी जाय।

ग- यदि किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर किसी महापुरूष की प्रतिमा लगाई जानी प्रस्तावित है, तो संबंधित भूस्वामी का लिखित सहमति पत्र भेजा जाय।

घ- जो संगठन/संस्था /निकाय उक्त महापुरूष की प्रतिमा लगाना चाहते है, इस बारे में संबंधित संगठन/संस्था/निकाय के लिखित प्रस्ताव की प्रति लगाई जाय।

च- उक्त महापुरूष की प्रतिमा लगाये जाने पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या भेजी जाय।

छ- कभी-कभी पुरानी प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव होता है। ऐसी दशा में पुरानी प्रतिमा को हटाये जाने के बारे में संबंधित उस

02-FEB-2010 11:19 SECY.TOURISM.AND.CUL.GOV 05222238455

संगठन/संस्था/निकाय का प्रस्ताव /सहमति, जिसने पुरानी प्रतिमा स्थापित कराई थी।

ज- यदि वह भूमि, जिस पर प्रतिमा की स्थापना प्रस्तावित है, विवादग्रस्त है अथवा उसके बारे में कोई मुकदमा आदि चल रहा है, तो उस मुकदमें के तथ्यों तथा उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में आख्या भी भेजी जाय। यदि कोई स्थगनादेश हो तो उसकी प्रति भी भेजी जाय।

3- उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी की संस्तुति शासन स्तर पर प्राप्त होने पर गृह विभाग से इसका परीक्षण करके मुख्य सचिव के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शासन स्तर से अनुमति दी जा सकेगी।

4- उपरोक्त व्यवस्था शासन, सरकारी विभागों एवं शासन के नियंत्रणाधीन अन्य संस्थाओं /संगठनों आदि पर नहीं लागू होगी।

उपरोक्त प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाय।

भवदीय,
(मो0 [illegible])
सचिव

संख्या (1)पी/8:पु-3-2008 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डी0के0 गुप्ता)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0)

संख्या-12/2018/1787/बीस-1-ई-2018-603(4 1)/90-टीसी-2

लखनऊ : दिनांक : 22 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से स्वतंत्रता के पश्चात सभी युद्धों में शहीद हुए सेनानियों की स्मृति में स्मारक तथा मूर्ति स्थापना संबंधी कार्य सामान्य प्रशासन विभाग के स्थान पर एतद्द्वारा संस्कृति विभाग को आवंटित किया जाता है।

195

सा0 GAD

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव

सं0-12/2018/1787(1)/बीस-1-ई-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मा0 मंत्री/राज्यमंत्रीगण, उ0प्र0।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
8. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद।
9. उ0प्र0सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
11. निदेशक, सूचना, उ0प्र0, लखनऊ।
12. स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, एन0बी0सी0सी0 प्लेस, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 दो अतिरिक्त प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ कि कृपया तदनुसार भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।
13. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।